

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह --:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किरम मुकदमा :- राजरव प्रा.पत्र

नम्बर :- 158/2023

तारीख
हुकम

सुनम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुकम
की तामील
में जारी
हुए

4.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प घोड़ावड़ में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- घोड़ावड़ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 191, 192, 194, 195, 207, 337, 338 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुगनकंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम सुगनकंवर पुत्री भंवरसिंह के स्थान पर सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान घोड़ावड़ में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बलाड़ा व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- घोड़ावड़ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 160, 48, 598, 597, 599, 347 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुगनकंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सुगनकंवर पुत्री भंवरसिंह के स्थान पर सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बलाड़ा व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा- घोड़ावड़ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 160, 48, 598, 597, 599, 347 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सुगनकंवर पुत्री भंवरसिंह को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " सोनूकंवर पुत्री भंवरसिंह " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दपतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(प्रमाण सुन्दा चिपनाई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पटवारी
सहायक कर्मकार जैतारण (पाली)